# (TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 17/2025-State Tax (Rate)

Dated: 22/09/2025

No. F.3 (29)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 932 .- In exercise of the powers conferred by subsection (5) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification number 17/2017-State Tax (Rate) published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Subsection (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/375, dated 30-06-2017, namely:-

- 1. In the said notification, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:-
  - "Services by way of local delivery where the person supplying such services through an electronic commerce operator is not liable for registration under sub section (1) of Section 22 of the Delhi Goods and Services Act, 2017.
- 2. This notification shall come into force with effect from 22<sup>nd</sup> September, 2025.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Mangej Singh) Dy. Secretary (Fin.)

Note: The principal notification No. 17/2017-State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/375, dated 30-06-2017 and was last amended by notification No. 08/2025-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (16)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-11-720, dated 30<sup>th</sup> July, 2025.

Dated: 22/09/2025

#### Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

- 2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
- 3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 6. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 7. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
- 8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 11. Website.
- 12. Guard File.

(Mangej Singh)

Dy. Secretary (Fin.)

## (दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग IV में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (व्यय-I) विभाग

दिल्ली सचिवालय, आई .पी .एस्टेट : नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या 17/2025-राज्य कर (दर)

दिनांक :22/09/2025

फा०सं० 3(29)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/ 93 दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद द्वारा दिनांक 30-06-2017 की फा०सं० 3(15)/वित्त(राज0-I)/2017-18/डीएस-VI/375 के द्वारा, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 17/2017- राज्य कर (दर) में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, खंड (iv) के पश्चात् निम्निलेखित खंड कोअंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: "स्थानीय डिलीवरी के माध्यम से सेवाएँ, जहाँ ऐसी सेवाएँ प्रदान करने वाला व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर

के माध्यम से दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है।"

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, के आदेश से तथा उनके नाम पुर

> (मंगेज सिंह) उप-सचिव (वित्त)

टीप: मूल अधिसूचना संख्या 17/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 30-06-2017 की फा0सं0 3(15)/वित्त(राज0-I)/2017-18/डीएस-VI/375 के द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा जिसे अंतिम बार दिनांक 30 जुलाई, 2025 की फा0सं0 3(16)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-VI/375 के द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 08/2025-राज्य कर (दर) के द्वारा संशोधित किया गया था I

### फा0सं0 3(29)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/ <del>93</del>2

दिनांक :22/09/2025

#### प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित-:

- 1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
- 2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
- 3. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
- 4. नि,.सं . नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 5. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली ।
- 6. अपर मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
- 7. सचिव (सा.प्रशा.वि.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को इस अनुरोध के साथ आज की तिथि में दिल्ली राजपत्र भाग-IV (असाधारण) में प्रकाशन हेत्।
- 8. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
- 9. अपर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
- 10. निदेशक, राज्य संसाधन प्रभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11. वेबसाइट।

१२. गार्ड फ़ाइल ।

(मंगेज सिंह)

उप-सचिव (वित्त)